FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

बनाम

बसन्तकुमार ..... तहसीलदार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 45 / सन् 2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 Act 136 RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/4/15 को पेश हो। SDO	239 3/4/15
वकील वादी उपस्थित। सरकारी पैरोकार नाथूराम जाखड़ समय चाहते हैं, समय दिया जाकर पेश करने का समय चाहते हैं, समय दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 22-05-2015 को पेश हो। SDO.	बसन्त
राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय देवरिया केन्द्र पर दिनांक 26-05-2015 को पेश हो। SDO.	
सरकारी पैरोकार नाथूराम जैतारण उपस्थित। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट देवरिया में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने राजस्व वाद विरुद्ध प्रति० अन्तर्गत धारा 88 सि Act 1955 एवं 136 RT Act 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा-देवरिया तह० जैतारण में वादी की पैतृक व पुश्तैनी सामलाती बपीतधारी व कब्जेदार की हैसियत से खा० नं० 257 रकबा 82.06 बीघा, व ख० नं० 256 रकबा 86 बीघा कुल किता 2 रकबा 49.06 बीघा निर्विवाद की हैसियत से वादी के पिता स्व० रामसिंघ जाति पनी पश्चात ना० सं० 616 के जरिए वादी का नाम उत्तराधिकारी राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने सम्बन्ध तत्कालीन RI व पटवारी ने वादी के सहीनामा की जाँच किए बिना ही गलत पूर्व जालसाजी दस्तावेज कर गलतनामा पारित कर दिया वादी का सहीनामा बसन्तकुमार है, किन्तु तत्कालीन जालसाजी दस्तावेज कर पटवारी ने उक्त दस्तावेज नहीं करके गलतनामा गलत दस्तावेज कर मूटेशन पारित कर दिया। जबकि सरकारी रेकर्ड, आधारकार्ड, स्थाई निवास, पहचान-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र में सभी में नाम बसन्तकुमार है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि आरम्भ कर दिया है, जिसका सही छगनाराम के एक मात्र वारिस बसन्तकुमार है, जिसका सही	बसन्त

Scanned by CamScanner

नाम बसन्त कुमार है। जिससे विभिन्न प्रकार के विवाह
योजनाओं के परिलाभ लोक ऋण आदि में अनावश्यक
परेशानियाँ होती हैं। इस प्रकार वाद-पत्र एवं शपथ-पत्र एवं
हलफनामे आदि प्रस्तुत कर उक्त विवाहित व्यक्ति की पैतृक
व कुटुम्बी आराजाती खातेदारी व अन्य काश्त की भूमि के वर्तमान
राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम आरमल हटाया जाकर
इसके स्थान पर बसन्त कुमार दर्ज किये जाने की दरकार है।
राजस्व लोक अदालत शिविर — देवरिया कलाँ सेवा केन्द्र में
हुई। वाद-पत्र के तथ्यों के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से
मौखिक जाँच में जाँच कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई।
जाँच रिपोर्ट दि० 26-05-15 एवं मृत्यु जाँच रिपोर्ट दि० 26-05-15 एवं
प्रार्थी ने अपना सही नाम बसन्त कुमार पुत्र लालाराम होना बताया
एवं निवास प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र वर्ष 1991, सं
कुलाब फोटो पहिचान-पत्र RJ21/159/060685, पिता की जाति प्रमाण
कमांक 294 दिनांक 13-06-2000, राशन कार्ड सं० 05 दि० 25-
प्रमाण-पत्र सम्बन्ध देवरिया एवं विपे, सा० मिण्डी समस्त
में खातेदार आरमल का वास्तविक नाम बसन्त कुमार है
पत्रावली का क्रमशः अवलोकन किया गया। प
वाद-पत्र एवं शपथ-पत्र एवं हलफनामा का गहनता पूर्वक
अध्ययन किया गया। उपरोक्त प्रार्थी प्रकार का सुना गया
प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट एवं मृत्यु जाँच रिपोर्ट दिनांक 26-05-2015 का गहन
अवलोकन कर बहस वकील वादी सुनी गई, पत्र मनन कर
किया गया। वस्तुतः उक्त विवाहित व्यक्ति के खातेदार दर्ज
आरमल पुत्र लालाराम व बसन्त कुमार पुत्र लालाराम जाट
देवरिया दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, अन्य कोई व्यक्ति
नहीं है। लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाता तथा वादी
वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज लालाराम पुत्र का नाम बसन्त
वास्तविक रूप से सही होने से गलत दर्ज नाम आरमल पुत्र
लालाराम की प्रविष्टि हटाई जाना तथा आरमल के स्थान
पर पुनः नाम बसन्त कुमार पुत्र लालाराम दर्ज करवाया
जाना उचित समझता हूँ। प्रति० का जरूरत रूप किया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। सम्पत्ति
मौजा — देवरिया तह० जैतारण में स्थित खसरा नं० कुल 25
कुल किता 2 रकबा 49 बीघा 06 बिस्वा है० के
वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम आरमल पुत्र
लालाराम जाट हटाया जावें तथा गलत दर्ज लालाराम पुत्र
का वास्तविक नाम बसन्त कुमार पुत्र लालाराम कुमावत
रूप से दर्ज किया जावें। डिक्री पंचायत समिति से बनवाया
जाकर सा० मिण्डी तहसीलदार, जैतारण का डिक्री की
प्रति भेजकर पालना करवाई जावें। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नस्ती हो। वाद तकमीनन जाब्ता
फारिग दफ्तर। केवल अण्डा जमा हो।